



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25763-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2621/2026**

श्रीमती रुना खातून

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: संजय कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"क. एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को थाना लार, जनपद देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या 352/2024, भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364, 34, 323, 504, 506 के अंतर्गत निष्पक्ष और प्रभावी विवेचना पूर्ण करने तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाए।

ख. एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपहृत व्यक्तियों, अर्थात् सरफराज, सरताज और हसन की बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

ग. ऐसा अन्य और आगे का रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे; ताकि न्याय हो सके।"

ग. याची के पक्ष में रिट याचिका का खर्च प्रदान करना।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) 9.10.2024 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की विवेचना नहीं कर रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याची अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), देवरिया के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और यदि ऐसा आवेदन एस.पी. देवरिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो एस.पी. देवरिया/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति)

(राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"